

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना 'घ' प्रभाग

अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
<b>शुरुआत एवं उद्देश्य</b>		
1.	सरकार के किन प्रावधानों के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों को विनियमित किया जाता है ?	केंद्र सरकार के किसी पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.10.1998 के कार्यालय जापन सं. 14014/2/2012-स्था. (घ), के तहत जारी "केंद्र सरकार के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति की योजना" के प्रावधानों की समय-समय पर संशोधित शर्तों के अनुसार विनियमित होती हैं। <u>अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सभी अनुदेशों को दिनांक 16.01.2013 के कार्यालय जापन सं. 14014/02/2012-स्था.(घ) के तहत समेकित किया गया है और यह विभाग की वेबसाइट <a href="http://www.persmin.nic.in">www.persmin.nic.in</a> (OMs &amp; Orders&gt; Establishment&gt; (A) Administration (III) Concessions in Appointments (a) Compassionate Appointments) पर उपलब्ध है।</u>
2.	अनुकंपा नियुक्तियों से संबंधित योजना का उद्देश्य क्या है ?	इस योजना का उद्देश्य ऐसे सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना है, जो सेवाकाल में मृत्यु या 55 वर्ष की आयु (पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए 57 वर्ष) प्राप्त करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी स्थायी साधन के बिना छोड़ जाता है, <u>ताकि संबंधित सरकारी सेवक के परिवार को वित्तीय कार्रवाई से राहत दी जा सके और आपात स्थिति से उबरने में उसकी सहायता की जा सके।</u>
3.	क्या यह योजना सशस्त्र बलों के सदस्यों पर भी लागू होती है ?	<u>जी हां।</u> सशस्त्र बल के सदस्य के परिवार के आश्रित सदस्य को रक्षा मंत्रालय के अधीन किसी स्थापना/संगठन में सिविल पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, यदि सशस्त्र बल के उस सदस्य की : क) सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है; या ख) वह कार्रवाई के दौरान मारा जाता है; या ग) चिकित्सा आधार पर जिसकी सेवा समाप्त की गई हो और जो सिविल नौकरी के लिए अक्षम हो

4.	क्या आत्महत्या करने वाले सरकारी कर्मचारी के आश्रितों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	<u>जी हां</u> । यदि परिवार अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार करने से संबंधित मानदंडों को पूरा करता हो (कृपया क्रम सं. 29 देखें)
<b>अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा</b>		
5.	अनुकंपा नियुक्ति के लिए ऊपरी और निचली आयु सीमा क्या है ?	आयु सीमा उस पद के भर्ती नियमों के आधार पर होगी जिस पर अनुकंपा नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है।
6.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करते समय किसी पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है ?	<u>जी हां</u> । जहां भी आवश्यक पाया जाता है ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
7.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करते समय किसी पद के लिए निर्धारित निचली आयु सीमा में छूट दी जा सकती है ?	<u>जी नहीं</u> । निचली आयु सीमा में 18 वर्ष से नीचे छूट नहीं दी जा सकती।
8.	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करते समय आयु संबंधी पात्रता के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख क्या है ?	अनुकंपा नियुक्ति के लिए 'आवेदन की तारीख' के संदर्भ में आयु संबंधी पात्रता निर्धारित की जाएगी।
9.	ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है ?	किसी मामले में अनुकंपा नियुक्ति करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने में सक्षम प्राधिकारी ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए सक्षम है।
10.	आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु विचार करते समय चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवक के मामले में आयु सीमा में कोई प्रतिबंध है ?	<u>जी हां</u> । सरकारी सेवक को 55 वर्ष (पूर्ववर्ती समूह 'घ' के लिए 57 वर्ष) की आयु प्राप्त करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होना चाहिए।
<b>परिवार के आश्रित सदस्यों की परिभाषा</b>		
11.	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए परिवार के आश्रित सदस्यों के रूप में किन पर विचार किया जाएगा ?	परिवार का आश्रित सदस्य अर्थात् : क) जीवन साथी/जीवन संगिनी ; या ख) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) ; या ग) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) ; या घ) अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में भाई या बहन ; या ड) क्रम सं. 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार सशस्त्र बलों का सदस्य, जो मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक/सशस्त्र बल के सदस्य, जैसा भी मामला

		हो, पर पूर्ण रूप से आश्रित था।
12.	क्या 'विवाहित 'पुत्री' के मामले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	<b>जी हां।</b> लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अधीन : i. कि वह मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के समय सरकारी सेवक पर पूर्ण रूप से आश्रित थी । ii. उसको परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का भरण- पोषण करना है ।
13.	क्या 'विवाहित 'पुत्र' के मामले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	<b>जी नहीं।</b> विवाहित पुत्र को सरकारी सेवक का आश्रित नहीं माना जाता है ।
14.	क्या 'विवाहित भाई' के मामले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	<b>जी नहीं।</b> विवाहित भाई को सरकारी सेवक का आश्रित नहीं माना जाता है ।
15.	क्या 'दैनिक या आकस्मिक या शिक्षु या अनियत या संविदा या पुनः-नियोजन' आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारी के आश्रित के मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	<b>जी नहीं।</b> अनुकंपा नियुक्ति हेतु केवल नियमित सरकारी कर्मचारी के आश्रित के मामले पर विचार किया जा सकता है ।
16.	क्या "स्थायी कार्य-प्रभारित स्टाफ" के आश्रित के मामले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है ?	<b>जी हां।</b> स्थायी कार्य-प्रभारित स्टाफ सरकारी सेवक में शामिल है।
17.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवा को पुनर्विवाह के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति है ?	<b>जी हां।</b>
18.	क्या परिवार में एक कमाने वाले सदस्य के होते हुए भी दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है?	<b>जी हां।</b> उचित मामलों में, यहां तक कि जब परिवार में पहले से ही कोई कमाने वाला सदस्य हो, आश्रित परिवार के सदस्य की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव के पूर्व-अनुमोदन के साथ विचार किया जा सकता है, जो ऐसी नियुक्ति के अनुमोदन से पूर्व स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करना; सरकारी सेवक के आश्रितों की संख्या, परिसंपत्तियाँ तथा उसके द्वारा छोड़ी गई देयताओं, कमाने वाले सदस्य की आय और साथ ही उसकी देयताओं तथा इस तथ्य सहित कि कमाने वाला सदस्य सरकारी सेवक के परिवार के साथ रह रहा है और क्या उसे परिवार के अन्य सदस्यों की

		सहायता नहीं करनी चाहिए; के संबंध में न्यायसंगत है।
19.	क्या एक गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है?	<b>जी हां।</b> इस विभाग के दिनांक 09.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अध्यक्षीन, गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।
<b>अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी</b>		
20.	किसी मंत्रालय/विभाग के मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है?	क) संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव; ख) संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय के मामले में अनुपूरक नियम 2(10) के अधीन विभाग का प्रमुख; ग) विशेष प्रकार के मामलों में संबंधित मंत्रालय/विभाग में सचिव;
<b>पद/रिक्तियां जिनके लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां की जा सकती हैं</b>		
21.	पदों के किस समूह के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है?	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक 'भर्ती वर्ष' में समूह 'ग' पदों (पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों सहित) में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत 5% तक की रिक्तियों पर की जा सकती है। रिक्तियों के निर्धारण का तरीका दिनांक 16.01.2013 के अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर समेकित अनुदेशों में स्पष्ट किया गया है।
22.	ऐसे छोटे कार्यालयों/संवर्गों में जहां अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रिक्तियां; एक 'भर्ती वर्ष' में 20 सीधी भर्ती रिक्तियों से कम है, वहां हम अनुकंपा आधार पर नियुक्ति कैसे करते हैं?	ऐसे समूह 'ग' पद जिनमें किसी भर्ती वर्ष में 20 सीधी भर्ती रिक्तियों से कम रिक्तियां होती हैं, उन्हें एक साथ मिलाया जा सकता है तथा एक वर्ष में रिक्तियों की कुल संख्या में से इस शर्त के अध्यक्षीन 5% अनुकंपा आधार पर भरी जा सकती हैं कि ऐसे किसी पद में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक से अधिक नहीं होगी। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना करने के प्रयोजन से रिक्ति का अंश चाहे आधा हो या आधे से अधिक किंतु एक से कम हो तो उसे एक रिक्ति माना जा सकता है।
23.	छोटे मंत्रालयों/विभागों में जहां अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए वर्ष दर वर्ष पर्याप्त रिक्तियां नहीं होती, वहां अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना कैसे की जाती है?	छोटे मंत्रालय/विभाग अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु 5% कोटा के अंतर्गत रिक्तियों की गणना करने का और अधिक उदार तरीका अपना सकते हैं। इन अनुदेशों के प्रयोजन से छोटे मंत्रालयों/विभागों को ऐसे संगठनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पिछले 3 वर्षों के लिए 5% कोटा के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु कोई रिक्ति निर्धारित नहीं की जा सकी थी। ऐसे छोटे मंत्रालय/विभाग प्रत्येक 3 वर्ष अथवा

		उससे पहले के वर्षों में उत्पन्न हुई सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों को समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों (तकनीकी पदों को छोड़कर) में जोड़ सकते हैं तथा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु एक रिक्ति के निर्धारण हेतु ऐसे वर्षों की रिक्तियों के कुल योग के संदर्भ में 5% रिक्तियों की गणना कर सकते हैं। यह इस शर्त के अन्वये है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा 5% कोटा के अंतर्गत एक रिक्ति के निर्धारण हेतु 3 वर्षों के अथवा 3 वर्षों से अधिक वर्षों के दौरान अनुकंपा आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी/है।
24.	क्या किसी समूह 'क' अथवा समूह 'ख' पद के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है?	<u>जी नहीं।</u>
25.	यदि आश्रित व्यक्ति के पास उच्च योग्यताएं हैं तो क्या समूह 'क' अथवा समूह 'ख' पद के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है?	<u>जी नहीं।</u>
26.	यदि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक वर्ष में नहीं दी जा सकती है तो क्या इस पर अगले भर्ती वर्ष में विचार किया जा सकता है?	<u>जी हां।</u> अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं है। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अनुरोध को अगले वर्ष अथवा और आगे के वर्षों में ले जाया जा सकता है लेकिन एक वर्ष में अनुकंपा आधार पर की गई कुल नियुक्ति सीधी भर्ती समूह 'ग' कोटा की 5% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
27.	क्या भविष्य की किसी रिक्ति के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है?	<u>जी नहीं।</u> अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब उस प्रयोजनार्थ नियमित रिक्ति उपलब्ध हो। भविष्य की रिक्ति के लिए कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
28.	क्या प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग / कार्यालय से अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार करना अपेक्षित होता है?	<u>जी नहीं।</u> चूंकि, भविष्य की रिक्ति के लिए अनुकंपा आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है, अतः कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाती है।
29.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार करने के लिए मंत्रालय/विभाग में गठित समिति अगले वर्ष की रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की सिफारिश कर सकती है?	<u>जी नहीं।</u> समिति की सिफारिश केवल मौजूदा रिक्तियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। भविष्य की रिक्ति के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु कोई सिफारिश नहीं की जा सकती है।
30.	क्या एक तकनीकी पद के लिए	<u>जी हां।</u> समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' स्तर के

	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है?	तकनीकी पदों के लिए भी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। तकनीकी पदों के लिए एक वर्ष में होने वाली कुल सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों के आधार पर रिक्तियों के 5% कोटा की गणना की जाएगी।
31.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर लागू है?	<b>जी हां।</b> अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति को उस श्रेणी जिससे वह संबंधित है, के आधार पर उपयुक्त श्रेणी नामतः अजा/अजजा/अपिव/सामान्य के लिए भर्ती रोस्टर में समायोजित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि वह अजा. श्रेणी से संबंधित है तो उसे अ.जा. आरक्षण प्वाइंट के लिए समायोजित किया जाएगा, यदि वह अ.ज.जा/अ.पि.व. है तो उसे अ.ज.जा./अ.पि.व. प्वाइंट के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है तो सामान्य श्रेणी के लिए रिक्ति प्वाइंट के लिए समायोजित किया जाएगा।

**अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की वांछनीयता के विचार हेतु मानदंड**

32.	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारक योग्यता का मानदंड क्या है?	अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर अनिवार्य रूप से विचार किया जाना चाहिए: (क) परिवार निर्धन है एवं उसे वित्तीय अभाव से उबरने के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता है। (ख) अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदक को संगत भर्ती नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत संबंधित पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त होना चाहिए। आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच-पड़ताल करने का दायित्व, अनुकम्पा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का होता है। न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्टतः उल्लेख किया है कि दिवंगत या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति 'सरकारी सेवक के परिवार की वित्तीय स्थिति को नजर अंदाज करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति का प्रस्ताव देना युक्ति संगत नहीं है।
-----	---	---

**अनुकम्पा नियुक्ति के लिए स्वीकार्य रियायतें**

33.	अनुकम्पा नियुक्ति करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों को क्या छूट उपलब्ध हैं।	अनुकम्पा नियुक्तियों के निम्नलिखित आवश्यकताओं के पालन से छूट प्राप्त है:- (क) भर्ती प्रक्रिया अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग या रोजगार कार्यालय के बिना (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष कक्ष /रोजगार
-----	---	--

		एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय से अनापत्ति (ग) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा पदों को भरने के लिए जारी किए गए प्रतिबंध संबंधी आदेश
34.	क्या अनुकम्पा आधार पर अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को टंकण परीक्षा पास करने से छूट प्राप्त है।	टंकण परीक्षा पास करने से छूट के मामले में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्त कर्मचारी, इस संबंध में जारी सामान्य आदेश द्वारा अभिशासित होंगे:- i. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सीएस प्रभाग द्वारा, यदि उक्त पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल है, या ii. यदि पद केन्द्रीय सचिवालय के लिपिकीय सेवा में शामिल न हो तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग द्वारा
35.	क्या कोई व्यक्ति जो किसी पद की शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं करता हो अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किया जा सकता है?	<b>जी हां।</b> ऐसा व्यक्ति जो किसी पद की शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं करता हो "प्रशिक्षु" नियुक्त किया जा सकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का.जा.सं.14014/2/2009-स्था.घ) दिनांक 11.02.2009 एवं 03.04.2012
36.	क्या सरकारी विभाग किसी विधवा, जो किसी पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता पूरी न करती हो, को नियुक्त कर सकता है?	<b>जी हां।</b> ऐसे मामले में किसी पद की शैक्षणिक अर्हता को वह विधवा जिस पर अनुकम्पा नियुक्त के लिए विचार चल रहा हो पूरी न करती हो तो उसे <b>बहु कार्य कर्मचारी</b> के पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि नियोक्ता प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि वह इस पद की इयुटियों को संतोषजनक ढंग से अंतः कार्य प्रशिक्षण द्वारा निष्पादित कर सकती है।
37.	क्या दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर अनियत/दैनिक/तदर्थ/संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है?	<b>जी नहीं।</b> नियमित रिक्ति पर ही अनुकम्पा आधार पर नियमित नियुक्ति की जा सकती है।
<b>अनुकम्पा नियुक्तियों के मामले पर विचार करने के लिए समय-सीमा</b>		
38.	क्या अनुकम्पा नियुक्ति के मामले पर विचार करने के लिए कोई समय-सीमा है?	इस विभाग द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित अनुदेशों, के अध्यक्षीन और रिक्ति की उपलब्धता होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के किसी आवेदन पर प्रत्येक मामले के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्धारित समय सीमा नहीं होगी। (क्र.सं.32 में उल्लिखित मापदण्ड को देखें)
39.	क्या कोई विभाग अनुकम्पा	मंत्रालय / विभाग अनुकम्पा नियुक्ति के अनुरोधों पर

	नियुक्ति के विलम्ब से आने वाले अनुरोधों पर विचार कर सकता है?	सरकारी सेवक की बहुत पहले हुई मृत्यु या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति होने के बावजूद भी विचार कर सकते हैं। ऐसे विलम्बित अनुरोधों पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुकम्पा नियुक्ति की संकल्पना सरकारी सेवक के परिवार की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए उसे तत्काल सहायता देने के लिए है। इन सालों में परिवार किस प्रकार से जीवन निर्वाह करता है, इस तथ्य को सामान्यतः पर्याप्त साक्ष्य के रूप में लिया जाना चाहिए कि क्या परिवार के पास जीविका का साधन था।
40.	क्या ऐसे मामले जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.5.2003 के का.जा. में किए गए प्रावधान के अनुसार 3 वर्ष की समय सीमा पूरा होने पर बन्द कर दिए गए थे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.07.2012 के का.जा. द्वारा समय-सीमा छूट दिए जाने के पश्चात पुनः खोले जाएंगे।	<u>जी हां।</u> बशर्ते कि ऐसे मामले 3 वर्ष की अवधि के दौरान रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण तथा क्रम सं. 32 एवं क्रम सं. 39 में उल्लिखित मापदण्ड के अध्यधीन बन्द किए गए हों। <u>ऐसे मामलों को केवल इसलिए नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि समय-सीमा में छूट प्राप्त हो गई है।</u>
41.	क्या समूह घ की रिक्तियों पर विलम्ब के अनुकम्पा नियुक्तियों वाले मामले पर सभी समूह 'घ' कर्मचारियों की समूह 'ग' में नियमितीकरण के पश्चात इन पर विचार किया जाएगा।	अनुकम्पा नियुक्ति के विलम्ब वाले मामलों पर एमटीएस पदों के लिए संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।
<b>किसी प्रशिक्षु के वेतन/भत्तों की स्थिति एवं देयता</b>		
42.	प्रशिक्षु की क्या स्थिति होगी?	प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त व्यक्ति को पहले दिन से ही सरकारी सेवक की हैसियत होगी एवं उसे सरकारी सेवक को अनुज्ञेय सभी भत्ते एवं लाभ प्राप्त होंगे।
43.	"प्रशिक्षु" के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना समय प्रदान किया जाएगा।	अनुकम्पा आधार पर "प्रशिक्षु" के रूप में नियुक्त व्यक्ति को 5 वर्ष में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करनी होगी।
44.	क्या अनुकम्पा आधार पर नियुक्त "प्रशिक्षु" व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि होगी।	<u>जी हां।</u> परिवीक्षा अवधि, जैसा कि पद/ग्रेड जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है, के भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट है, उसके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं



		प्राप्त करने की तिथि से प्रारम्भ होगी।
45.	क्या नियमित सरकारी कर्मचारी के लिए लागू अर्जित अवकाश, अर्द्ध वेतन अवकाश एवं अन्य प्रकार के अवकाश, प्रशिक्षु को देय होंगे।	अनुकम्पा आधार पर नियुक्त प्रशिक्षु नियमित सरकारी सेवक को अनुज्ञेय सभी प्रकार के अवकाश का हकदार होगा।
46.	छुट्टी यात्रा रियायत की स्वीकार्यता जैसा कि नियमित सरकारी सेवक के लिए लागू है।	अनुकम्पा आधार पर नियुक्त "प्रशिक्षु" को 1 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात ही एलटीसी रियायत की अनुमति होगी।
47.	क्या अनुकम्पा आधार पर नियुक्त कोई प्रशिक्षु चिकित्सा/सीजीईआईएम/सीजीएचएस और बाल शिक्षा भत्ता का हकदार होता है।	<u>जी हां</u> । जैसा कि नियमित सरकारी सेवक को ग्रेड वेतन के बिना 4400-7440 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान में अनुमति थी तथापि, वह प्रशिक्षता अवधि में समयोपरि भत्ते का हकदार नहीं होगा।
48.	नई पेंशन योजना की स्वीकार्यता	<u>जी हां</u> । जैसा कि नियमित सरकारी सेवक को ग्रेड वेतन के बिना रुपए 4440-7440/- के संशोधन-पूर्व वेतनमान में अनुमति थी।
49.	क्या अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किए गए प्रशिक्षणार्थी का आश्रित अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का हकदार होता है ?	<u>जी हां</u> ।
<b>विविध</b>		
50.	कौन सा प्रशासनिक प्राधिकारी दिवंगत सरकारी कर्मचारी अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारी के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की योजना के बारे में सूचित करने के लिए जिम्मेदार होता है ?	संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का कल्याण अधिकारी दिवंगत अथवा चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित को उपयुक्त परामर्श देने तथा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है।
51.	क्या दिवंगत कर्मचारी के परिवार के भरण-पोषण का दायित्व अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति पर होता है ?	<u>जी हां</u> । योजना के तहत अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को लिखित रूप में एक वचन-बंध देना होता है कि वह प्रश्नाधीन सरकारी सेवक या सशस्त्र बल के सदस्य पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का उचित रूप से भरण-पोषण करेगा तथा यदि यह बाद में (किसी भी समय) साबित होता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा उसके द्वारा उचित रूप से उनका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, उस स्थिति में उसकी नियुक्ति को तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

52.	क्या एक बार अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को अन्य पद पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है ?	<b>नहीं</b> । जब किसी व्यक्ति को अनुकंपा आधार पर किसी पद विशेष पर नियुक्त कर दिया जाता है, तब जिन परिस्थितियों के कारण उसे यह नियुक्ति प्राप्त हुई है, उन परिस्थितियों को समाप्त मान लिया जाना चाहिए तथा उसे भावी उन्नति के लिए अपने सहकर्मियों के समान अपने करियर में प्रयास करना चाहिए तथा अनुकंपा आधार पर किसी उच्चतर पद में नियुक्ति के लिए किसी भी अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए ।
53.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है ?	अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है तथा अनुकंपा आधार पर उक्त पर विचार करने संबंधी किसी अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार किया जाएगा ।
54.	अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण कैसे किया जाता है ?	किसी विशेष भर्ती वर्ष में अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को, अनुकंपा आधार पर नियुक्त उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण की तिथि पर ध्यान दिए बिना, उस वर्ष में सीधी भर्ती, पदोन्नति इत्यादि द्वारा भर्ती/नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवारों से नीचे रखा जाता है ।
55.	क्या अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी की सेवा को नियुक्ति के प्रस्ताव की निबंधन एवं शर्तों को पूरा नहीं करने पर बर्खास्त किया जा सकता है ?	अनुकंपा आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उससे यह स्पष्ट करने के लिए कहते हुए कि उसकी सेवाएं नियुक्ति प्रस्ताव में शर्त(शर्तों) को पूरा नहीं करने के लिए क्यों न समाप्त कर दी जाएँ, का अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति प्रस्ताव में बताई गई किसी शर्त को पूरा नहीं करने के आधार पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों को बर्खास्त किया जा सकता है तथा इस प्रयोजनार्थ अनुशासनिक नियमों/अस्थायी सेवा नियमावली में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक नहीं होता है ।
56.	क्या दिवंगत सरकारी कर्मचारी का आश्रित व्यक्ति, जो पूर्व में समूह 'घ' वर्तमान में एमटीएस पद पर पदासीन हो, पर अनुकंपा आधार पर समूह 'ग' पद के प्रति विचार किया जा सकता है ?	<b>जी हाँ</b> । पूर्व में समूह 'घ' पद से संबंधित सरकारी सेवक वर्तमान में (एमटीएस) के परिवार के सदस्य को समूह 'ग' पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए उसके पास शैक्षणिक योग्यताएँ होती हैं बशर्ते कि इस प्रयोजनार्थ समूह 'ग' पद में रिक्त-पद विद्यमान हो ।
57.	क्या अनुकंपा आधार के आवेदन को इसलिए अस्वीकार किया जा सकता	<b>नहीं</b> । अनुकंपा आधार पर किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि

	है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी का परिवार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितलाभ प्राप्त कर चुका है ?	सरकारी सेवक के परिवार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितलाभ प्राप्त किए हैं तथा उस पर क्रम सं. 32 एवं क्र. सं. 39 में उल्लिखित मानदंड के आधार पर विचार किया जाएगा ।
58.	क्या अनुकंपा आधार पर किसी आवेदन को मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के पुनर्गठन के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है ?	<u>नहीं</u> । अनुकंपा आधार पर नियुक्ति को केवल इस आधार पर अस्वीकार अथवा विलंबित नहीं किया जा सकता है कि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में पुनर्गठन हुआ है । इसे संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए यदि अनुकंपा आधार के लिए कोई रिक्त-पद हो तथा उसे (योजना क्र.सं. 32 में उल्लिखित मानदंड देखें) योजना के तहत योग्य तथा उपयुक्त पाया गया हो ।
59.	क्या न्यायालय अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आदेश दे सकता है ?	उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम श्रीमती आशा रामचन्द्र अम्बरकर एवं अन्य (जेटी 1994(2) एस.सी.183) के केस में दिनांक 28 फरवरी, 1995 के अपने अधिनिर्णय में निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय तथा प्रशासनिक प्राधिकरण अनुकंपा आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निदेश नहीं दे सकते हैं परन्तु ऐसी नियुक्ति के लिए दावे पर विचार करने के केवल निदेश दे सकते हैं ।

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)

निदेशक (ई.1)

दूरभाष : 23092479